इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
लाभांश संवितरण नीति

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 (दूसरा संशोधन) में दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना के तहत विनियम 43ए को शामिल किया है, जिसमें बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष को 31 मार्च के अनुसार परिकलित) के आधार पर पांच सौ शीर्ष सूचीबद्ध निकायों के लिए अपेक्षित है कि वह एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करे और उसे वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाईट पर प्रकट करे।

1.2 इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को व्यापक स्तर पर विनिर्दिष्ट करना है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय उन परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद है/नहीं है और प्रतिधारित आमदनी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने के लिए प्रयासरत है और विश्वास करती है कि इसे निरंतर विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस नीति में इस बात का प्रयास किया गया है कि लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाभों को प्रतिधारित रखे जाने के बीच इष्टतम संतुलन बनाए रखा जाए।

यह नीति लाभांश की सिफारिश करने हेतु बोर्ड के निर्णय का विकल्प नहीं है, जो कि कंपनी के ब्याज तथा नीति में वर्णित परिस्थितियों तथा अन्य कारकों, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ।

2. नीति फ्रेमवर्क

यह नीति व्यापक स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर तथा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग, द्वारा जारी ''सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसिस की पुनर्संरचना'' और सेबी विनियमों और लागू स्तर तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

3. लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक

3.1 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले वित्तीय मापदंड

इरकॉन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण दिनांक 27.05.2016 को डीआईपीएएम द्वारा जारी केपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेज की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

3.2 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक

3.2.1 आंतरिक कारक

बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते समय कम्पनी के संचालन की प्रकृति और अन्य पैमानों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता हैः

क. तिमाही तक/वित्तीय वर्ष के लिए लाभ।
ख. कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि में उपलब्ध शेष।
ग. कंपनी और उद्योग का लाभांश भुगतान का रुझान।
घ. भावी व्यवसाय अनुमान और प्रचालनिक आवश्यकताएं
ड. आमदनियों की धारणीयता और भावी लागतों का अनुमान।
च. प्रचालनिक रोकड़ प्रवाह, कोषीय स्थिति और प्रचालनिक आवश्यकताएं।
छ. ऋण सीमा और ऋण प्राप्त करने की क्षमता।
ज. कंपनी की वर्तमान और भावी पूंजी व्यय योजना।
झ. कंपनी की सहायक/संयुक्त उपक्रम तथा संबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश।
ट. अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान, जिनका आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।
ढ. कोई अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जाए।

3.2.2 बाहरी कारक

(क) **आर्थिक वातावरण और व्यासायिक वातावरणः** लाभांश की घोषणा करते समय सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितियों सहित वर्तमान और भावी व्यवसायों के परिदृश्य पर विचार किया जाएगा।

(ख) **उद्योग की स्थितिः** लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय उस उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन कर रही है।

(ग) **सांविधिक प्रावधान तथा दिशानिर्देश:** कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी

होने के कारण, कंपनी भारत सरकार द्वारा तथा अन्य किसी सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी लाभांश घोषणा संबंधी लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

(घ) **लाभांश पर कर सहित लागू करः** लाभांश पर कर सहित कंपनी में लागू करों पर विचार किया जाएगा, जो समग्र रोकड़ बहिर्गमन को प्रभावित करते हैं।

3.3 वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाभांश के रूप में लाभ का संवितरण तथा व्यवसायों में अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ अनुमानों में लाभ का प्रतिधारण प्रत्येक कंपनी का मूलभूत निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने तथा व्यवसाय की प्रचालनिक आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए लाभों के प्रतिधारण के बीच उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर रही है और वह युक्तिसंगत रूप से भविष्य में भी लाभांश की उम्मीद करते हैं, जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा न करने के लिए कंपनी को कोई समस्या न होः

(क) **लाभों का अभाव या अपर्याप्तता** - यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है अथवा यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) **अन्य समस्याएं** - वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित न करने का निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कारकों जैसे रोकड़ संसाधनों की सीमित/गैर-उपलब्धता, भावी रोकड़ प्रवाह अनुमानों के कारण सीमितता, आपातकालीन आवश्यकताएं, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता हो, अस्थिर व्यवसाय तथा लाभ अनुमान आदि और किन्हीं अन्य सांविधिक कारकों पर भी विचार किया जा सकता है।

4. प्रतिधारण आमदनियों का उपयोग

कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग अवसंरचना के सृजन तथा कंपनी के व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाता रहा है। कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों के उपयोग का निर्णय कई कारकों पर आधारित होता है, जैसे कंपनी की नीति और दीर्घकालीन योजनाएं, विविधिकरण, बोनस जारी करने, बाय-बैक के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों तथा कोई अन्य कारण, जो सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाए। प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इसके सभी शेयरधारकों का धारणीय रूप से मूल्य संवर्धन हो सके।

5. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

वर्तमान में कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के शेयर हैं यथा इक्विटी शेयर और रिकार्ड तिथि को कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर घोषित लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जब कभी कंपनी शेयरों की किसी अन्य श्रेणी को जारी करने का प्रस्ताव करेगी, शेयरों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

6. यह नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः

- प्रचलित कानूनों के मद्देनजर, किसी अन्य रूप में लाभांश का संवितरण जैसे बोनस शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी किया जाना।

- लाभांश भुगतान के विकल्प के रूप में इक्विटी शेयरों के बायबैक द्वारा रोकड़ का संवितरण।

7. संशोधन

उचित समझे जाने पर या सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र रूप से या भाग में, निदेशक मंडल इस नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकते हैं।

तथापि, इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित है और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक ऐसे संशोधन को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त है।

8. प्रकटनः

8.1 इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों या इस नीति के तत्वों में संशोधन के परिणामस्वरूप लाभांश की घोषणा को वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।

8.2 तथापि, इस नीति में परिवर्तन को इसके औचित्य के साथ लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट तथा कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

8.3 ऐसी स्थिति में जहां यह नीति किसी अन्य विनियामक प्रावधान के अनुरूप नहीं है, ऐसे विनियामक प्रावधान, इस नीति के समवर्ती प्रावधान के स्थान पर विद्यमान रहेंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।